

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 4/2024 / सरफैसी(जी.सी.एम.एस-2024/4)

एयु स्मॉल फाईनेन्स, बैंक लिमिटेड, कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड जयपुर
राजस्थान 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी संदीप पारीक।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री गणेश लाल पिता वाला जी निवासी-गांव टोडा, पोस्ट टोडा तहसील सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)-313027।
2. श्रीमती कलावती देवी पत्नि गणेशलाल निवासी-गांव टोडा, पोस्ट टोडा तहसील सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)-313027।
3. श्री दिनेश कुमार जोशी पुत्र राम जी जोशी निवासी-8 सल्लाडा रोड, बडगांव जिला सलूम्वर (राज.)-313903

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश


दिनांक...30-4-24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 7,75,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (पट्टा नम्बर-6192, मिसल नम्बर-02, सकल्प नम्बर-02, खसरा नम्बर 2287 गांव टोडा ग्राम पंचायत टोडा तहसील सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)-313027 कुलिया क्षेत्रफल 83.33 वर्ग गज स्थित मकान जिसमें भूमि, एवं ढांचा आदि जो सम्पति के विभिन्न अंग हैं, उसका कुलिया माप 83.33 वर्ग गज है। पुर्व-स्वयं का मकान, पश्चिम-आम रास्ता, उत्तर-नारायण का मकान, दक्षिण-भंवर जी का मकान) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये।

नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 10.08.2023 तक 8,12,204/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी




जिला कलक्टर
सलूम्वर (राज.)

बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 7,75,000/- रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 10.08.2023 तक 8,12,204/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (पट्टा नम्बर-6192, मिसल नम्बर-02, सकल्प नम्बर-02, खसरा नम्बर 2287 गांव टोडा ग्राम पंचायत टोडा तहसील सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)-313027 कुलिया क्षेत्रफल 83.33 वर्ग गज स्थित मकान जिसमें भूमि, एवं ढांचा आदि जो सम्पति के विभिन्न अंग है, उसका कुलिया माप 83.33 वर्ग गज है। पुर्व-स्वयं का मकान, पश्चिम-आम रास्ता, उत्तर-नारायण का मकान, दक्षिण-भंवर जी का मकान) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, सलूम्वर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ़्तर हों।



(जसमीत सिंह संघू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सलूम्वर